



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096/ ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
टेली/Tel: 022-28294756, 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,  
E-mail : [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), Web-site : [www.seepz.gov.org](http://www.seepz.gov.org)

परिपत्र सं. 12/19.5.21

कोविड -19 महामारी के निवारण संबंध में भारत सरकार ने दिये दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) अनुसार सीपज़-सेज सुरक्षाकर्मियों द्वारा सीपज़-सेज झोन में नियमित जाँच पड़ताल के दौरान ऐसा देखा गया कि युनिट के कुछ कर्मचारियों ने मास्क नहीं लगाया था। इससे कोविड-19/कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की संभावना अधिक होती है।

अतः महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19/कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ संक्रमण को मध्य नजर रखते हुए सभी सीपज़-सेज युनिटों को निदेश दिया जाता है कि अपने सभी कर्मचारियों को महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी किए के सुचनाओं का आवश्यक अनुपालन करने सुचित करे अन्यथा युनिट/कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई हो सकती है और नियमानुसार फाईन/पेनाल्टी भी लगायी जा सकती है।

इसी संदर्भ में युनिटों को निदेशित किया जाता है कि अपने अभ्यंगतो (visitors) को 31 मई 2021 या लॉक डाउन खत्म होने तक सीपज़-सेज में निमंत्रित न करे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

( केशव जाधव )

सहायक विकास आयुक्त/सुरक्षा अधिकारी  
सीपज़-सेज

फा.संख्या:सीपज़-सेज/सुरक्षा/कोविड-19 एसओपी/07409

दि.19.05.2021